



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर हत्या व एससी/एसटी एक्ट के अभियोग में 06 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व ₹ 2,40,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 462/2012 धारा-147, 148,342,364,302/149,504,506 भा0द0सं0व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.देवसिंह पुत्र रामनाथ 2.सुशील 3.संतोष 4.सतीश पुत्रगण देवसिंह 5.अवधेश 6. संतोष पुत्रगण रामअवतार निवासीगण ग्राम कुसमरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को सश्रम आजीवन कारावास व ₹40,000 - ₹40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी विजय सिंह



विवेचक-  
सी0ओ0अरविन्द  
कुमार मौर्य



पैरोकार- थाना कुरारा  
का0 रजनीश कुमार